


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार त्रिलोचन मिश्रा, पिता- राधाकन्त मिश्रा ग्राम- लाखिमपोसी थाना- कुमारडुंगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 103(Adv)/70-71 रूपये मुलधन-122.50 ब्याज-312.68 लगत-9.00 कुल-444.18 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुंगी।</p>	